छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 13 जनवरी, 2010

(पौष-23, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 01 पर समाधान कारण उत्तर न होने कारण प्रश्न आगामी तिथि के लिए निर्धारित किया गया।

प्रश्न संख्या 10 पर श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य की अनुपस्थिति में श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 3 तारांकित एवं 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा बाल्को प्रकरण पर उठाए गए स्थगन प्रस्ताव संबंधी चर्चा पर श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने बाल्को प्रकरण पर जांच आयोग की कार्यवाही के कारण स्थगन की ग्राह्ता पर चर्चा कराये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भी जांच आयोग का संदर्भ देते हुए, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के औचित्य पर अपने विचार रखे।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री वक्तव्यों पर अपनी बात रखी गई तथा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने का आग्रह किया गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अनेक विषयों का होने के कारण अग्राह्य किए जाने संबंधी विचार व्यक्त किए गए।

पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों की बातें सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

2. व्यवस्था

स्थगन पर चर्चा के लिए माननीय धर्मजीत सिंह जी ने अपनी बातें रखी हैं । कुछ मुद्दों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने बिन्दु उठाए हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने एवं माननीय और भी सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा भी बात रखी गई है कि यह प्रकरण जांच आयोग के सामने है, लंबित है । जो बातें अभी तक आई हैं, उस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं कि जांच के मुद्दे क्या हैं, चर्चा में किस सीमा तक हमको जाना चाहिए, किस सीमा तक नहीं जाना चाहिए, ये संपूर्ण तथ्य, जांच के बिंदुओं की जानकारी नहीं है । तथापि स्थगन प्रस्ताव निर्माणाधीन चिमनी की अनुमति व श्रम नियमों के उल्लंघन से संबंधित है । मैं जांच आयोग की अधिसूचना आदि पर विचार करूंगा व माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपसे एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर इसे किस प्रकार लिया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार करूंगा । अभी सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं और ध्यानाकर्षण की सूचना को लेते हैं ।

3.ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कमल विहार योजना का किसानों व ग्रामीणों द्वारा विरोध किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्रों में व्याप्त अनियमितता की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ.सियाराम साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने महासमुंद जिला प्रशासन के आदेश क्रमांक 12/क./2009 दिनांक 6.11.2009 द्वारा ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध से कृषकों में भारी रोष होने,

(2) महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य यकायक बंद हो जाने,

(3) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने ग्राम सिल्हारी (बंदुकुंदा) विकासखंड-केडुला, जिला कबीरधाम में पहाड़ी के ऊपर बैगा आदिवासियों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होने, तथा

(4) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने मेडिकल कालेज के नाम पर करोड़ों रूपये व्यय होने के बावजूद मेडिकल कालेज को एम.सी.आई. की मान्यता न मिलने

संबंधी शून्य काल की सूचना पढ़ी।

5.महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.शिवकुमार डहरिया, मंहत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, राजकमल सिंघानिया, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, चैतराम साहू, बोधराम कंवर, रामदयाल उइके, लखमा कवासी, धर्मजीत सिंह, देवेन्द्र बहादुर सिंह, डॉ.शक्राजीत नायक, ह्दयराम राठिया, ताम्रध्वज साहू, रामदेव राम, भोलाराम साहू, एवं दूजराम बौद्ध ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.शक्राजीत नायक, फूलचंद सिंह, लखमा कवासी, कुलदीप सिंह जुनेजा,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने आसंदी का ध्यान आकर्षित किया कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की चर्चा के समय अधिकांश मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं।

6. बहिर्गमन

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की चर्चा में सदन में अधिकांश मंत्रियों की सदन में अनुपस्थिति के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

माननीय सभापति ने विपक्ष के सदस्यों से सदन में उपस्थित होने का आग्रह किया। श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने भी प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

7.महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमशः)

श्री दूजराम बौद्ध,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री बैदूराम कश्यप, डॉ.सुभाऊ कश्यप।

सायं 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 14 फरवरी, 2009 (पौष 24, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा